रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022020-215946
CG-DL-E-06022020-215946

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 3, 2020/माघ 14, 1941
No. 60] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 3, 2020/MAGHA 14, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 78.(अ)— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) संशोधन आदेश, 2020 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण का विनियमन और कदाचारों की रोकथाम) आदेश, 2005 में खंड 3क में उप खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:—

"(2) तेल कंपनी द्वारा सम्यक प्राधिकृत व्यक्ति लोडिंग मोबाइल डिस्पेंसरों (वितरकों) के लिए सुविधा धारक किसी तेल कंपनी के खुदरा बिक्री केन्द्र से आपूर्ति स्थल आधार या/किसी खुदरा बिक्री केन्द्र से तेल कंपनी के किसी आपूर्ति स्थल से हाई स्पीड डीजल की सुपुर्दगी लेगा; और वह आपूर्ति स्थल अथवा खुदरा बिक्री केन्द्र पर सुपुर्दगी स्थान से उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, सुरक्षा और उसे संभालने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा।"

[फा.सं. पी-11013/1/2015-वितरण]

आशीष चटर्जी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल आदेश तारीख 19 दिसंबर, 2005 के संख्या सा.का.नि. 729 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसे इसके पश्चात् तारीख 12 जनवरी 2007 के संख्या सा.का.नि. 18 (अ), तारीख 31 दिसंबर, 2008 के सा.का.नि.352 (अ), तारीख 6 मई, 2014 के सा.का.नि. 621 (अ), दिनांक 10 अगस्त, 2015 के सा.का.नि. 728 (अ), दिनांक 29 जून, 2017 के सा.का.नि. 728 (अ), तारीख 8 नवंबर, 2019 के सा.का.नि. 830 (अ) और तारीख 10 दिसंबर, 2019 के सा.का.नि. 903 के द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 3rd February, 2020

G.S.R. 78(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005, namely-

1. (1) This Order may be called the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Amendment Order, 2020.

 (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 2005, in clause 3A, for sub-clause (2), the following clause shall be substituted, namely: –

 "(2) The person duly authorised by the oil company shall take delivery of High Speed Diesel from any supply location of the oil company on ex-supply location basis or from any retail outlet of an oil company, having facility for loading mobile dispensers and he shall be solely responsible for the quality, quantity, safety and handling of the product from the point of delivery at supply location or retail outlet.".

[F. No. P-11013/1/2015-Dist.]

ASHISH CHATTERJEE, Jt. Secy.

Note:—The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 729(E), dated the 19th December, 2005 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 18(E), dated the 12th January, 2007, G.S.R. 1(E), dated the 31st December, 2008, G.S.R. 352(E), dated the 6th May, 2014, G.S.R. 621(E), dated the 10th August, 2015, G.S.R. 728(E), dated the 29th June, 2017, G.S.R. 830(E) dated the 8th November, 2019 and G.S.R. 903 (E), dated the 10th December, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.